रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009

एफ. सं. 37–3/विधिक/अभातशिप/2009.–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 (ख), (छ), (त) तथा (थ) के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, एतद्द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009 बनाती है :–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध) विनियम, 2009 के खण्ड (5), उपखण्ड (3), (4), (6) (7), (8), खण्ड (6), उपखण्ड (छ), (झ), खण्ड (7), उपखण्ड (2), खण्ड (9), उपखण्ड (2), खण्ड (10), उपखण्ड (च) तथा खण्ड (11), उपखण्ड (ख) में दिए गए शब्द "शपथ पत्र" को शब्द "वचन बंध" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

डॉ. के. पी. आइजैक, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./162/14]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2014

All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) (1st Amendment) Regulations, 2009

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009.—In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education hereby frames the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) (1st Amendment) Regulations, 2009.

The word "Affidavit" wherever appearing under Clause 5, Sub-clause (3),(4),(6), (7), (8), Clause 6, Sub-clause (g), (i), Clause (7), Sub-clause(2), Clause 9, Sub-clause (2), Clause 10, Sub-clause (f), and Clause 11, Sub-clause (b) of All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations, 2009 would be substituted with the word "Undertaking".

Dr. K. P. ISAAC, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty./162/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.